न्यायालय जिला कलक्टर झुन्झुनूं

पीठासीन अधिकारी : उमर दीन खान,
आई.ए.एस.

प्रा0प0 संख्याः 192 / 2021

राजस्थान सरकार जरिये अनामिका, प्रर्वतन अधिकारी, झुंझुनूं। – प्रार्थी

बनाम

उचित मूल्य दुकानदार श्री अनिल कुमार, ग्राम नूनिया गोठडा, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनूं। – अप्रार्थी

— — —

प्रार्थना पत्र अतंर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत जब्तशुदा सामान राजसात करने बाबत।

— — —

उपस्थित : –

1. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक – प्रार्थी की ओर से।
2. श्री अनिल कुमार – अप्रार्थी स्वयं उपस्थित।

आदेश

दिनांकः– 04.10.2021

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र विद्वान अनामिका, प्रर्वतन अधिकारी, झुंझुनूं की ओर से प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रा0प0 के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि दिनांक 10.09.2021 को उचित मूल्य दुकानदार श्री अनिल कुमार, ग्राम नूनियां गोठडा तहसील चिडावा का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। जिसमें निरीक्षण के समय गेहूं अतिरिक्त 2280 किलोग्राम, गेहूं एपीएल 3846.08 किलोग्राम, कुल 6287.08 किलोग्राम गेहूं पोस में दर्ज पाया। उचित मूल्य दुकानदार द्वारा पंचायत की दुकान में वितरण व भंडारण का कार्य किया जा रहा था जिसका भौतिक सत्यापन किया गया। भौतिक सत्यापन पर पोस में दर्ज गेहूं के स्टॉक 6287.08 किलोग्राम से 2350.00 किलोग्राम अधिक अनधिकृत गेंहू स्टाक पाया। 2350.00 किलोग्राम अधिक गेंहू के बारे में पूछताछ करने पर कोई संतोषप्रद कारण नही बताया। 2350.00 किलोग्राम अधिक अनधिकृत गेंहू का स्टाक मय बार दाना 47 कट्टो को (समस्त 50.00 किलोग्राम भर्ती के) जब्त किया गया। यह जब्त शुदा 2350.00 किलोग्राम अधिक अनधिकृत गेहू का स्टॉक मय बार दाना 47 कट्टो को (समस्त 50.00 किलोग्राम भर्ती के) उचित मूल्य दुकानदार श्री करणीराम, ग्राम खुडाना, तहसील चिडावा की सुपुर्दगी में पृथक से सुपुर्दगीनामा बना कर दिया गया। इस

प्रकार 2350.00 किलोग्राम अधिक अनधिकृत गेहू स्टॉक का भंडारण राजस्थान खाद्यान्न व अन्य आवश्यक पदार्थ आदेश, 1976 का उल्लंघन है। यह आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। अतः जब्तशुदा 2350.00 किलोग्राम अधिक अनाधिकृत गेहूं का स्टॉक मय बार दाना 47 कट्टो को (समस्त 50.00 किलोग्राम भर्ती के) को राजसात करने की कृपा करे।

बहस सुनी गयी। राजकीय अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुए निवेदन किया कि दिनांक 10.09.2021 को उचित मूल्य दुकानदार श्री अनिल कुमार, ग्राम नूनियां गोठडा तहसील चिडावा का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। जिसमें निरीक्षण के समय गेहूं अतिरिक्त 2280 किलोग्राम, गेहूं एपीएल 3846.08 किलोग्राम, कुल 6287.08 किलोग्राम गेहूं पोस में दर्ज पाया। उचित मूल्य दुकानदार द्वारा पंचायत की दुकान में वितरण व भंडारण का कार्य किया जा रहा था जिसका भौतिक सत्यापन किया गया। भौतिक सत्यापन पर पोस में दर्ज गेहूं के स्टॉक 6287.08 किलोग्राम से 2350.00 किलोग्राम अधिक अनाधिकृत गेंहू स्टाक पाया। 2350.00 किलोग्राम अधिक गेंहू के बारे में पूछताछ करने पर कोई संतोषप्रद कारण नही बताया। 2350.00 किलोग्राम अधिक अनधिकृत गेंहू का स्टाक मय बार दाना 47 कट्टो को (समस्त 50.00 किलोग्राम भर्ती के) जब्त किया गया। यह जब्त शुदा 2350.00 किलोग्राम अधिक अनधिकृत गेहू का स्टॉक मय बार दाना 47 कट्टो को (समस्त 50.00 किलोग्राम भर्ती के) उचित मूल्य दुकानदार श्री करणीराम, ग्राम खुडाना, तहसील चिडावा की सुपुर्दगी में पृथक से सुपुर्दगीनामा बना कर दिया गया है। इस प्रकार 2350.00 किलोग्राम अधिक अनधिकृत गेहू स्टॉक का भंडारण राजस्थान खाद्यान्न व अन्य आवश्यक पदार्थ आदेश, 1976 का उल्लंघन है। यह आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर जब्तशुदा 2350.00 किलोग्राम अधिक अनाधिकृत गेहूं का स्टॉक मय बार दाना 47 कट्टो को (समस्त 50.00 किलोग्राम भर्ती के) को राजसात करने की कृपा करे।

बहस के दौरान अप्रार्थी ने निरीक्षण के दौरान पोस मशीन से ज्यादा पाये गये जप्तशुदा 2350 किलोग्राम गेहूं के अधिक भण्डारण पर कोई सन्तोषजनक जबाब नही दिया। अप्रार्थी ने मात्र इतना ही कथन किया कि यह गेहूं पोस मशीन से वितरित कर दिया गया था परन्तु उपभोक्ता खेत मे काम करने के लिए चले गये और गेहूं वहीं छोड गये थे। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जाकर अप्रार्थी के विरूद्व की जा रही कार्यवाही को ड्रोप फरमाया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का भी अवलोकन किया। आकस्मिक निरीक्षण दिनाक 10.09.2021 श्री अनिल कुमार उचित मूल्य दुकानदार नूनियां गोठडा मे पोश मशीन मे 6287.08 किलो गेहूं स्टॉक मे दर्ज था

लेकिन भौतिक सत्यापन मे दुकान मे 2350 किलो गेहूं पाया गया। राशन की दुकान मे अप्रार्थी केवल सरकारी सामग्री रखने के लिए ही अधिकृत था न कि निजी सामग्री। इस प्रकार श्री अनिल कुमार उचित मूल्य दुकानदार, नूनियां गोठडा द्वारा स्टॉक मे अधिक गेहूं रखकर तथा प्राधिकार पत्र मे दर्ज गोदाम से भिन्न स्थान पर रसद सामग्री का स्टॉक संघारण एवं वितरण कर राजस्थान खाद्यान एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्तो का उल्लघंन का दोषी है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि जप्तशुदा गेहूं 2350 किलोग्राम को मय बारदाना राजसात किया जाकर खुली निलामी मे बिक्री की जाकर राशि राजकोष मे जमा कराई जावे तथा साथ ही राजस्थान खाद्यान एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत अप्रार्थी के विरूद्व विभागीय कार्यवाही भी अमल मे लाई जावे। आदेश की प्रति अदालत मातहत को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 04.10.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उमर दीन खान)

जिला कलक्टर, झुंझुनूं

जिला कलक्टर झुन्झुनू

04/10/21